न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी अरविन्द कुमार जाखड़ आर ए एस

राजस्व अपील/225/रा.का.अधि./73/2017/बाड़मेर

अपीलांट

रामाराम पुत्र भगवानाराम का.मु.
1. चांदी देवी पत्नी रामाराम
2. हुकमाराम पुत्र रामाराम
3. पुरखाराम पुत्र रामाराम जाति माली निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंटगण

बनाम राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 139/2017 बअनवान रामाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः— 16.03.2021

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय के खेत खसरा संख्या 236 रकबा 10.07 बीघा भूमि जो वादी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 236/1 के पश्चिमी सेढा का समपर्शी है वादी के खातेदारी का होना घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर विगत 40 वर्षों से अधिक समय से अपीलांट का कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत पर अपीलाधीन आराजी की वादी को खातेदारी में घोषित की जावे। न्यायालय हाजा द्वारा एक अपील संख्या 59/2012 हस्तगत वाद में पारित निर्णय दिनांक 17.05.2011 के विरूद्ध पेश की गई जिसे बाद सुनवाई दिनांक 14.01.2015 निर्णय करते हुए आदेश पारित किया गया कि अपीलाधीन वाद को तनकियात कायम कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर गुणावगुण पर निर्णय हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। उक्त आदेश के पश्चात आज दिन तक अपीलांट के साथ समुचित न्याय नहीं मिल रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट तलब किये बिना ही आनन–फानन में आदेश पारित किया गया है जो न्याय के सिद्धांत के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जो गैर कानूनी है। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत एकपक्षीय होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि खेत खसरा संख्या 236 रकबा 10.07 बीघा भूमि जो वादी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 236/1 के पश्चिमी सेढा का समपर्शी है वादी के खातेदारी का होना घोषित किया जावे। वादग्रस्त आराजी पर विगत 40 वर्षों से अधिक समय से अपीलांट का कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जे के सिद्धांत पर अपीलाधीन आराजी की वादी को खातेदारी में घोषित की जावे। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करने पर उतारू है। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है। मूल वाद के अंतीम रूप से निर्णित नहीं होने से रेस्पोडेंट अपीलांट के कब्जे काश्त की भूमि पर दखलांदाजी करने में कामयाब हो जाते है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षरित कारित होना संभाव्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर गौर किये बिना जल्दबाजी में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय को सम्पूर्ण पत्रावली पर आये हुए दस्तावेजी साक्ष्य, शपथपत्र आदि के आधार पर मामले में प्रथम दृष्टया मामला किसके पक्ष में है इसको तय किया जाना आवश्यक था जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला तय किये बिना अपीलधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का तुलनात्मक संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में किस प्रकार से नहीं है इसका कोई कारण दिये बिना आलोच्य आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत नहीं है तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत होने से खारिज फरमाया जाने योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य आदेश खारिज फरमाते हुए तहसीलदार शिव से रूबरू पक्षकारान के मौके एवं कब्जा काश्त के अनुसार मौका रिपोर्ट तलब कर आदेश पारित किये जावे। अपीलांट के पक्ष में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के आदेश पारित किये जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी राजकीय सिवायचक भूमि है। अपीलाधीन आराजी का अपीलांट रिकॉर्डेड खातेदार नहीं है। अपीलांट एक अतिक्रमी की हैसियत से अपीलाधीन आराजी पर दावा कर रहा है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किसी अतिक्रमी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

खातेदारी दिया जाना प्रतिबंधित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद विवेचन एवं अवलोकन कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की पत्रावली पर बहस सुनी गई। पत्रावली का गंभिरता पूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन मनन न्यायालय का निष्कर्ष है कि मौजा शिव के खसरा संख्या 236/1 रकबा 10.07 बीघा भूमि का अपीलांट खातेदार है जो उसके नियमित कब्जे और उसकी पात्रता के आधार उसे नियमित हुइ थी। खसरा संख्या 236 की शेष रकबा 127.10 बीघा भूमि पंचायत समिति कार्यायल, बी.ई.ई.ओ. शिव कार्यालय भवन एवं अन्य सार्वजनिक सुविधाओं हेतु आरक्षित है। अपीलाधीन आराजी सरकारी भूमि है। किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि पर यदा–कदा अतिक्रमण करने के आधार पर वह खातेदारी का अधिकारी नहीं हो जाता है। अपीलांट एक अतिक्रमी की हैसियत से खातेदारी प्राप्त करने का दावा कर रहा है जो विधि विरूद्ध है। राजकीय सिवायचक भूमि पर किसी अतिक्रमी को खातेदारी दिया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 द्वारा प्रतिबंधित है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई हक नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की बहस सुनकर उभयपक्ष की उपस्थित में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 139/2017 बअनवान रामाराम बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 14.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 16.03.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर